राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 08/2024

कविता –अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनूं।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 26.12.2023
आदेश की दिनांक : 08.01.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुनील कुमार सिंगोदिया, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उपकेन्द्र बामलास, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टीटनवाडा, उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं में कार्यरत है। अपीलार्थी को दिनांक 10.03.2022 द्वारा सीएमएचओ झुन्झुनूं के कार्यालय में अधिशेष घोषित किया गया था, जबकि अपीलार्थी अधिशेष नहीं है, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील दायर की, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 15.03.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 30.03.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टीटनवाडा को वर्ष 2021–2022 के जीएनएम प्रशिक्षण में चयन होने पर कार्यमुक्त करने के लिए निवेदन किया। अपीलार्थी ने जीएनएम प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वेतन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जो जुलाई, 2021 के महीन से देय है (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर अधिशेष नहीं है। उसका नाम दिनांक 05.07.2023 (अनुलग्नक–4) की अधिशेष कर्मचारी की सूची में उल्लेखित नहीं किया गया। अपीलार्थी ने अपना वेतन देने हेतु दिनांक 07.07.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु आज दिनांक तक अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी का माह जुलाई, 2021 से आज तक बकाया वेतन का भुगतान करवाया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उपकेन्द्र बामलास, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टीटनवाडा, उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं में कार्यरत है। अपीलार्थी को दिनांक 10.03.2022 द्वारा सीएमएचओ झुन्झुनूं के कार्यालय में अधिशेष घोषित किया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील दायर की, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 15.03.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा जीएनएम प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया, परन्तु विभाग द्वारा अपीलार्थी को जुलाई, 2021 से वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं जिस पदस्थापन स्थान से ली जा रही हैं। अपीलार्थी उक्त सेवाओं का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध प्रकट होता है। अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार उपस्थिति की जांच कर अपीलार्थी का वेतन किसी भी रिक्त पद से एक माह की अवधि में आहरित किया जाकर भुगतान किया जावे। इस निर्देश के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य